रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229576
CG-DL-E-13092021-229576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3395] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 3395] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

विषय : आयात नीति प्रावधान का विस्तार।

का.आ. 3707(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 15.05.2021 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना का.आ. 1858(अ) दिनांक 15.05.2021 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

''उक्त दिनांक 15.05.2021 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के तहत पहले से यथा अधिसूचित तूर/पीजन पीज (कजानस कजन) (आईटीसी (एचएस) 0713 60 00) और उड़द [एसपीपी विग्ना मूंगों (एल) हेप्पर के बीन्स] (आईटीसी (एचएस) 0713 3110) की 'मुक्त' आयात नीति को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाया जाता है''

2. उपर्युक्त उल्लिखित दो मदों के आयात हेतु लदान बिल दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को अथवा इससे पहले जारी किया जाएगा और ऐसे खेप के आयात की दिनांक 31 जनवरी, 2022 को अथवा इससे पहले सीमा शुल्क विभाग से निकासी करने की आवश्यकता होगी।

अधिसूचना का प्रभाव: तूर/पीजन पीज (कजानस कजन); और उड़द [एसपीपी विग्ना (एल) हेप्पर के बीन्स] हेतु ''मुक्त'' आयात नीति को दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को अथवा इससे पहले जारी किए गए लदान बील के साथ इन मदों की आयात खेप दिनांक 31 जनवरी, 2022 के बाद सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमत नहीं होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 14/1/2021–ईपी (एग्री–III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2021

Subject : Extension of Import Policy Provision

S.O. 3707(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992 read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Department of Commerce Notification S.O. 1858(E) dated 15.05.2021 as under:

The 'Free' Import Policy of *Tur/Pigeon Peas (Cajanus Cajan) (ITC(HS) 0713 60 00)* and *Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] (ITC(HS) 0713 3110)* as was notified under Notification S.O. 1858(E) dated 15.05.2021 shall stand extended up to 31.12.2021

2. For import of the above-mentioned two items, Bill of Lading should be issued on or before 31st December, 2021 and import of such consignment shall need to be cleared from Customs on or before 31st January 2022.

Effect of the Notification: "Free" Import policy for Tur /Pigeon Peas (Cajanus Cajan); and Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] is extended for the period up to 31st December 2021. Further, import consignments of these items with Bill of Lading issued on or before 31st December, 2021 shall not be allowed by Customs beyond 31st January 2022.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 14/1/2021-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.13 22:36:28 +05'30'